सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-7/2017-13(6)/2017/का-1-2017

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 03 अगस्त, 2017

विषय :-राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों में से पदोन्नति के माध्यम से भर्ती हेतु उपलब्ध रिक्तियों का भरा जाना ।

महोदय,

राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु आयोजित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में, कार्मिक अनुभाग-1 द्वारा अर्द्ध शा० पत्र संख्या-13/15/91-का-1/1993, दिनांक 20 अगस्त, 1993, समसंख्यक अर्द्ध शा० पत्र दिनांक 20 नवम्बर, 1993 एवं शासनादेश संख्या-1194/का-1-2000-13-15-91, दिनांक 19 मई, 2001 निर्गत किये गये हैं, जिसमें विस्तृत व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। रिक्ति के वर्ष की अवधारणा के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-1 द्वारा शासनादेश संख्या-507/का-1/97, दिनांक 23 जनवरी, 1998 निर्गत किया गया है, जिसमें प्रथम जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि के अन्तर्गत 30 जून को घटित होने वाली रिक्ति की गणना उसी चयन वर्ष में की जायेगी, की व्यवस्था का उल्लेख है। इस प्रकार दिनांक 30.06.2018 को घटित होने वाली रिक्ति चयन वर्ष 2017-2018 की रिक्ति मानी जायेगी।

2- सूच्य है कि राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों में पदोन्नति के माध्यम से भर्ती हेतु रिक्त पदों को शीघ्रतापूर्वक भरा जाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है, अत: वर्तमान चयन वर्ष 2017-2018 में पदोन्नति के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों को शीघ्र भरा जाना अपेक्षित है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त सन्दर्भित अर्द्ध शा० पत्रों/शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के आलोक में, चयन वर्ष 2017-2018 में पदोन्नति के माध्यम से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों का आगणन कर, एक माह के भीतर पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजीव कुमार

मुख्य सचिव ।

क्रमश: 2 /-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-7/2017-13(6)/2017(i)/का-1-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री जी।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

दीपक त्रिवेदी

अपर मुख्य सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।